



पेयजल एवं स्वच्छता विभाग  
जल शक्ति मंत्रालय  
भारत सरकार

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION  
MINISTRY OF JAL SHAKTI  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते




# मलीय कचरा प्रबंधन (एफएसएम)

मलयुक्त गाद प्रबंधन (एफएसएम) शौचालयों से उत्पन्न अपशिष्ट मल-मूत्र के सुरक्षित प्रबंधन से संबंधित है। एफएसएम मुख्य रूप से सेप्टिक टैंक से जुड़े शौचालयों के लिए आवश्यक है। जिन सिंगल पिट (एकल गड्ढा) वाले शौचालयों को ट्विन पिट (दो गड्ढे वाले) शौचालयों में नहीं बदला जा सकता है, ऐसे शौचालयों का एफएसएम की योजना बनाते समय ध्यान रखना आवश्यक है।

दो गड्ढे वाले शौचालय में यथास्थान ही मल कीचड़ को खाद में परिवर्तित करके सीधे कृषि में पुनः उपयोग किया जा सकता है।



एफएसएम का क्रियान्वयन नीचे दी गई मूल्य - श्रृंखला के माध्यम से किया जाता है। शौचालय से उत्पन्न मल कीचड़ को सेप्टिक टैंक/एकल गड्ढे में एकत्रित किया जाता है। इसके बाद सेप्टिक टैंक/एकल गड्ढे से मलीय कीचड़ को मशीनीकृत तरीके से खाली करके उसका परिवहन, उपचार संयंत्र तक किया जाता है। उपचार संयंत्र में मलीय कीचड़ का उपचार कर उसे उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है।



# ज़िले में एफएसएम क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कदम

## चरण 1: एकीकृत ज़िला एफएसएम योजना की तैयारी

ज़िला एफएसएम योजना शौचालयों की मरम्मत और यथास्थान उपचार, सेप्टिक टैंक को खाली करने और परिवहन सेवाओं की पहुंच, सभी गांवों में उपचार के बुनियादी ढांचे का प्रावधान और मलीय कीचड़ प्रबंधन से पुनः उपयोग और संसाधनों के प्रतिलाभ का आंकलन।

### नए एफएसटीपी की स्थापना:

कई गांवों का कलस्टर बनाकर उनके लिए समर्पित नए एफएसटीपी का निर्माण।



### शौचालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार द्वारा यथास्थान उपचार:

दो गड्डों वाले शौचालय को बढ़ावा देना/एकल गड्डे वाले शौचालयों को दो गड्डों में बदलना।


### शहरी ग्रामीण समन्वय:

आस-पास के शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सेप्टिक टैंक को खाली करने वाले (यंत्रिकृत खींच कर निकालने वाला उपकरण) और उपचारित करने वाली संरचनाएं (एसटीपी/एफएसटीपी) का उपयोग करने के लिए गांवों का कलस्टर या संकुल बनाना।

## एकीकृत ज़िला एफएसएम योजना कौन तैयार करेगा?






डीडब्ल्यूएससी/डीडब्ल्यूएसएम (ज़िला जल एवं स्वच्छता समिति/मिशन) एकीकृत ज़िला एफएसएम योजना तैयार करने, इसके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।

## एकीकृत ज़िला एफएसएम योजना कैसे तैयार करें?




- ब्लॉकों को कलस्टर के रूप में अपनाया जा सकता है यदि सबसे दूर के गांव (जिसे एफएसएम की आवश्यकता है) और उपचार सुविधा के बीच की दूरी 10 किमी से अधिक नहीं है। अंतरिम समाधान की योजना में यह दूरी 15-20 किमी तक भी हो सकती है।
- ई एंड टी सेवाएं— सेप्टिक टैंक को खाली करना और परिवहन के ज़रिए उपचार संयंत्र तक पहुंचाना।

## चरण 2: शौचालयों के यथास्थान उपचार और रेट्रोफिटिंग (पुनः संयोजन) को प्रोत्साहित करना


	संदर्भ	उपाय	यदि उपाय संभव नहीं है:
द्विनि पिट	 <ul style="list-style-type: none"> <li>वाई-जंक्शन में रिसाव जो इसे शौचालय से जोड़ता है</li> <li>गड्डों के बीच की दूरी 1 मीटर से कम</li> </ul>	रेट्रोफिट	शुष्क करने के लिए लंबे समय तक रखना
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>उच्च जल स्तर वाले क्षेत्र में</li> </ul>	यथास्थान उपचार में अपग्रेड करें	छोटे बोर पाइप सिस्टम + चरण-3 पर जाएं
एकल गड्ढा	 <ul style="list-style-type: none"> <li>शौचालयों को मशीनीकृत तरीके से खाली करने की आवश्यकता</li> </ul>	यथास्थान उपचार में अपग्रेड करें	चरण-3 पर जाएं
सेप्टिक टैंक	 <ul style="list-style-type: none"> <li>ऐसी टंकी जिसमें पानी की आवाजाही नहीं हो सकती, होल्डिंग टैंक कहलाती है</li> </ul>	यथास्थान उपचार में अपग्रेड करें	छोटे बोर पाइप सिस्टम + चरण-3 पर जाएं
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>सेप्टिक टैंक जिसमें तरल के लिए निकास पाइप है</li> </ul>	सेप्टिक टैंक के साथ सोक पिट का निर्माण	छोटे बोर पाइप सिस्टम + चरण-3 पर जाएं

## चरण 3: एक गांव के लिए एफएसएम की व्यवहार्यता



- डीप रो एट्रेंचमेंट (डीआरई) को अंतरिम समाधान के रूप में तब तक अपनाया जा सकता है जब तक कि पूरी तरह कार्यात्मक उपचार सुविधा का निर्माण नहीं हो जाता।
- एफएसटीपी में उत्पादित खाद की बिक्री को संसाधन लाभ तंत्र के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

## चरण 4: “खाली करने, परिवहन, उपचार, पुनः उपयोग” क्रियान्वयन के लिए आधारिक संरचना



\*यंत्रीकृत खींच कर निकालने वाले उपकरण का आंकलन संकरी गलियों के संबंध में किया जाना चाहिए ताकि वह सेप्टिक टैंक/एकल गड्डों को खाली कर सके।



पेयजल एवं स्वच्छता विभाग  
जल शक्ति मंत्रालय  
भारत सरकार

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION  
MINISTRY OF JAL SHAKTI  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते



एक कदम स्वच्छता की ओर